



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/दुर्ग/चू०प०- 2/रायपुर/खण्ड-2 38 एम०पी०आर० 13001 दिनांक :- 31/12/2020

प्रति,

श्री एस० बालाकृष्णनन्, एम०डी०, सी०ई०ओ० एवं नॉमिनेटेड ऑनर
मेसर्स ए० सी० सी० लिमिटेड,
सीमेंट हाउस, 121, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई (महाराष्ट्र)-400020
ईमेल:- s.balakrishnan@acclimited.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी जामुल सीमेन्ट वर्क्स चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 269.95 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10/11/2020 को श्री ए० बी० जाडे, खान प्रबंधक एवं श्री जे० के० सचदेवा, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
नियम संख्या 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide letter no. DGR/LST/MPLN-116/NGP Nagpur dated 20/10/2015 for the period of F.Y. 2015-16 to 2019-20: Protective Measures: There was a proposal given for construction of parapet wall along the dump periphery, the same has not been constructed.
नियम संख्या 12 (a) एवं (b)	As per the enclosed borehole logs in the latest approved Review of Mining Plan dated 09/12/2019, most of the boreholes are closed/terminated in the Limestone and as per the MMDR Amendment Act, 2015, the present Mining Lease will be expired on 31/03/2030. Hence, violation under rule 12 (a) & (b) of MCDR, 2017 (Amended up to 27/03/2018) has been pointed out for the detailed exploration under G1 level in the mineralised zone and to know the depth persistence of the mineral/ore, all the boreholes should be drilled up to the depth of mineralization or up to the depth of 300 meters whichever is earlier.
नियम संख्या 14 (3)	A certain quantity of limestone and over size boulders of limestone have been dumped along with the waste rock in the mined out pit for reclamation and rehabilitation.
नियम संख्या 27 (1)	Financial Year 2019-20: It has been found that as per the approved Scheme of Mining, 147.66 Ha lease area has been considered for calculation of Financial Assurance up to the end of the Scheme Period. Whereas, 172.03 Ha. area has been utilized till the end of F.Y. 2019-20. Hence, Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 24.37 Ha. lease area has to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer.
नियम संख्या 45 (7)	Annual Return F.Y. 2019-20: Part – VII; Cost Of Production: The cost of DMF, NMET should be specifically mentioned in the Para (viii) Others.
नियम संख्या 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Nominated Owner has not been sent to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments. .

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत :-

कृ०पृ०प०.2.

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)—440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492002
4. श्री वैभव दीक्षित, निदेशक (प्लान्ट) एवं ऐजेन्ट (माईन्स), ए0सी0सी0 लिमिटेड, जामुल सीमेन्ट वर्क्स, जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ0ग0)—490024.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर